रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2497] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 4, 2018/आषाढ़ 13, 1940
No. 2497] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 4, 2018/ASHADHA 13, 1940

India Code

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2018

का.आ. 3250(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 54 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का लोक हित में प्रयोग करते हुए, किसी भारतीय पत्तन से किसी राष्ट्रीयता के पोतों का प्रचालन करने वाली सभी राष्ट्रीयताओं के वाहकों की बाबत, लाइनर पोत परिवहन, उद्योग के जलयान हिस्सेदारी करारों को राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों से छूट प्रदान करती है, परंतु केंद्रीय सरकार उक्त छूट को वापस ले सकेगी यदि कीमत नियतन क्षमता या विक्रय को सीमित करना और बाजारों या ग्राहकों के आबंटन की कोई शिकायत उसकी जानकारी में आती है ।

तीन वर्ष की उक्त अवधि के दौरान, महानिदेशक पोत परिवहन, पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार ऐसे करारों के प्रचालन की मानीटरी करेगा और वर्ष अंतराल पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और जिसके लिए, भारत में ऐसे पोतों के प्रचालनों के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन के तीन दिन के भीतर या ऐसे करारों पर हस्ताक्षर करने के दस दिन के भीतर, जो भी बात में हो, महानिदेशक पोत परिवहन के पास ऐसे अन्य सुसंगत दस्तावेजों के साथ, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं, उक्त अवधि के दौरान लोप होने के साथ किए जाने वाले विद्यमान जलयान हिस्सेदारी करारों या जलयान हिस्सेदारी करारों की प्रतियां फाइल करेंगे ।

[फा. सं. 5/20/2011-सीएस]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2018

S.O. 3250(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 54 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government, in public interest, hereby exempts the Vessels Sharing Agreements of Liner Shipping Industry from the provisions of section 3 of the said Act, for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of carriers of all nationalities operating ships of any nationality from any Indian port provided that the Central Government may withdraw the said exemption, if any complaint for fixing of prices, limitation of capacity or sales and allocation of markets or customers comes to its notice.

During the said period of three years, the Director General, Shipping, Ministry of Shipping, Government of India shall monitor operation of such agreements and submit his report at yearly interval and for which, the persons responsible for operations of such ships in India shall file copies of existing Vessels Sharing Agreements or Vessels Sharing Agreements to be entered into with applicability during the said period alongwith other relevant documents as may be specified by the Director General, Shipping within thirty days of the publication of this notification in the Official Gazette or within ten days of signing of such agreements, whichever is later, with the Director General, Shipping.

[F. No. 5/20/2011-CS]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.

IndiaCode

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.07.06 19:27:27 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.